न्यायालय संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी श्रीमती वन्दना सिंघवी, आई.ए.एस

अपील संख्या: 02 / 2023 शस्त्र अधिनियम्
GCMS No. 2023 / 42

मोहित छाबड़ा पुत्र श्री नरेन्द्र कुमार जाति अरोड़ा निवासी वार्ड नं. 14 गोशाला रोड, अनूपगढ तहसील अनूपगढ जिला श्रीगंगानगर।

———अपीलान्ट

——बनाम——

स्टेट ऑफ राजस्थान

———रेस्पोडेन्ट

उपस्थितः— श्री करण सिंह तंवर अभिभाषक अपीलांट
श्री गजेन्द्र सिंह अभियोजन अधिकारी राज्य पक्ष की ओर से।

निर्णय

दिनांकः 07.05.2024

1. यह अपील शस्त्र अधिनियम, 1959 की धारा 18 के अन्तर्गत जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर के आदेश दिनांक 13.02.2023 के विरूद्ध यह अपील प्रस्तुत की गई है।
2. अपील में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट ने अपने नाम से जारी शस्त्र अनुज्ञा पत्र सं. 07 / 2020 / डी.एम. / जी.एन.आर. के नवीनीकरण बाबत अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया, जिसे पुलिस अधीक्षक श्रीगंगानगर की रिपोर्ट दिनांक 02.09.2022 के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 13.02.2023 को अपीलाधीन आदेश पारित करते हुए खारिज कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय के उक्त अपीलाधीन आदेश दिनांक 13.02.2023 से व्यथित होकर अपीलांट ने इस न्यायालय में अपील प्रस्तुत की है।
3. प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड तलब किया गया। विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट तथा राज्य पक्ष की ओर से उपस्थित अभियोजन अधिकारी की बहस सुनी गयी ।
4. अभिभाषक अपीलांट ने प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर अपील अपीलांट को मियाद में शुमार किये जाने का निवेदन किया। अभिभाषक अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र में उल्लेखित

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

तथ्यों को मध्यनजर रखते हुए अपील अपीलांट को मियाद में शुमार किया जाता है।

5. विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपनी बहस में मुख्य रूप से कथन किया है कि अपीलांट के शस्त्र अनुज्ञा पत्र सं. 07/2020/डी.एम./जी.एन.आर. के नवीनीकरण के आवेदन को अधीनस्थ न्यायालय ने पुलिस अधीक्षक श्रीगंगानगर की रिपोर्ट दिनांक 02.09.2022 के आधार पर निरस्त कर दिया, जिसमें पुलिस अधीक्षक श्रीगंगानगर ने अपीलांट के विरूद्ध मुकदमा संख्या 290 दिनांक 10.06.21 अंतर्गत धारा 504, 506 व 120–बी आईपीसी व 6 एस.टी.एक्ट पेंडिंग होना बतलाया, जबकि थाना पुलिस ने बाद अनुसंधान उपरोक्त मु.नं. 290 दिनांक 10.06.21 को झूठा मानकर एफ.आर. न्यायालय में प्रस्तुत कर दी है। अपीलांट के खिलाफ किसी भी प्रकार का अन्य कोई मुकदमा पेंडिंग नहीं है और ना ही अपीलांट के खिलाफ कोई मुकदमा किसी भी पुलिस थाना अथवा न्यायालय में प्रस्तुत हुआ है। अपीलांट को आज तक किसी मुकदमें में कोई सजा नहीं हुई है। शस्त्र लाइसेंस का नवीनीकरण महज एफआईआर संख्या 290/2021 दर्ज होने के कारण नहीं किया गया था। उक्त एफआईआर में बाद जांच दिनांक 10.06.2021 को एफ.आर. प्रस्तुत कर दी गई थी तथा दिनांक 07.08.23 को न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अनूपगढ़ द्वारा एफ.आर. स्वीकार कर ली गई। अभिभाषक अपीलांट ने वरवक्त बहस उक्त एफ.आर. स्वीकार किये जाने से संबंधित साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं। अपीलार्थी के खिलाफ झूठा मुकदमा दायर किया गया था, जिसमें एफ.आर. स्वीकार हो चुकी है, अन्य कोई प्रकरण जैरकार नहीं था और ना ही जैरकार है। अधीनस्थ न्यायालय ने बिना किसी जांच किए अपीलार्थी के शस्त्र लाइसेंस का नवीनीकरण नहीं किया। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाया जावे।

6. विद्वान अभियोजन अधिकारी ने राज्य पक्ष की ओर से बहस करते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 13.02.2023 पुलिस अधीक्षक श्रीगंगानगर की रिपोर्ट दिनांक 2.9.2022 के आधार पर पारित किया गया है, जिसमें पुलिस अधीक्षक श्रीगंगानगर ने अपीलांट के विरूद्ध मुकदमा संख्या 290 दिनांक 10.06.21 अंतर्गत धारा 504, 506 व 120–बी आईपीसी व 6 एस.टी.एक्ट पेंडिंग होना अवगत कराया। अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश न्यायोचित है। अतः अपील अपीलांट निरस्त की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश यथावत रखा जावे।

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

7. हमने विद्वान अभिभाषक अपीलांट तथा राज्य पक्ष की ओर से सहायक लोक अभियोजक द्वारा की गई बहस एवं अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का गहनता से अध्ययन व मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय ने पुलिस अधीक्षक श्रीगंगानगर की रिपोर्ट दिनांक 02.09.2022 के आधार पर अपीलाधीन आदेश दिनांक 13.02.2023 पारित किया है। पुलिस अधीक्षक श्रीगंगानगर ने अपनी रिपोर्ट दिनांक 02.09.2022 में एफआईआर संख्या 290/2021 दर्ज होने के कारण शस्त्र लाइसेंस का नवीनीकरण नहीं किये जाने की अनुशंषा की। उक्त एफआईआर में बाद जांच दिनांक 10.06.2021 को एफ.आर. प्रस्तुत हो गई, जिसे दिनांक 07.08.23 को न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अनूपगढ़ द्वारा स्वीकार कर लिया गया। उपरोक्त विवेचन से हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि प्रकरण में अपीलांट को पुनः सुनवाई का अवसर दिया जाना उचित है। अतः अपील अपीलांट आशिक स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट श्रीगंगानगर का अपीलाधीन आदेश दिनांक 13.02.2023 निरस्त करते हुए अपील अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रति प्रेषित (Remand) की जाती है कि अपील में अपीलांट को पुनः सुनकर विधि सम्मत निर्णय पारित करें।

8. तदानुसार अपील अपीलांट निर्णित शुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय की प्रति अपील पत्रावली में शामिल की जाकर पत्रावली सुव्यवस्थित रखी जावे। निर्णय आज दिनांक 07.05.2024 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

7/5/24

(वन्दना सिंघवी)
संभागीय आयुक्त
बीकानेर